

सरकारी क्षेत्रों में बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में अपर्याप्त प्रगति हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) आगामी तीन वर्षों में बेरोजगार व्यक्तियों को सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के संबंध में सरकार की क्या योजनाएँ हैं ?

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विनाय पासवान) : (क) और (ख) रोजगार संबंधी नवीनतम उपलब्ध आंकड़े (अनतिम) मार्च, 1989 से संबंधित हैं जो रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम पर आधारित हैं जिनमें संगठित क्षेत्र शामिल है। इन आंकड़ों के अनुसार सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का रोजगार मिलाकर मार्च, 1987 के अन्त में 253.88 लाख से बढ़कर मार्च 1988 के अन्त में 259.86 लाख हो गया।

(ग) 8वीं पंचवर्षीय योजना में बेरोजगार व्यक्तियों की सभी श्रेणियों के लिये रोजगार सृजन पर बल दिये जाने का प्रस्ताव है।

सरकार के पास महाराष्ट्र से प्राप्त लंबित मत्स्य बन्दरगाह परियोजना संबंधी प्रस्ताव

601. श्री दिग्वासराव रामराव पाटिल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में मत्स्य बन्दरगाह के निर्माण से संबंधित कितने प्रस्ताव सरकार के पास लंबित पड़े हुये हैं और इसके क्या कारण हैं, और

(ख) इन परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है या किये जाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उषेन्द्र नाथ वर्मा)

वर्मा) : (क) भारत सरकार के पास महाराष्ट्र में मत्स्यकी बन्दरगाहों के निर्माण हेतु कोई भी प्रस्ताव लंबित नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

इस में पेयजल और स्वच्छता संबंधी सुविधाएँ

602. श्री दिग्वासराव रामराव पाटिल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता दशक 1981-91 के दौरान विभिन्न गांवों में पेयजल और स्वच्छता संबंधी सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु प्रबंध करने के लिये कोई प्राथमिकताएँ निर्धारित की हैं;

(ख) अब तक कितनी विदेशी सहायता प्राप्त हुई और अब तक उसमें से कितनी धनराशि का उपयोग कर लिया गया है; और

(ग) प्राथमिकता की विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत जिलावार कितने गांवों का निर्धारण किया गया है और इस संबंध में क्या उपलब्धियाँ रही हैं ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री (श्री उषेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय पेयजल आपूर्ति तथा स्वच्छता दशक (1981-91) के अन्तर्गत लक्ष्य शतप्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या को स्वच्छ पेयजल की सुविधाओं के अधीन करवा करने और 25 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या को कम लागत पर स्वच्छ शौचालयों की सुविधाएँ उपलब्ध कराने के आधार पर निर्धारित किया गया था।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी।

(ग) केवल उन समस्याग्रस्त गांवों, जिन्हें स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया

गया है की निगरानी केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य/जिलावार आधार पर की जाती है।

ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभान्वित ग्रामीण जनसंख्या की कवरेज की निगरानी की जाती है। छठी योजना में अर्थात् 1 अप्रैल, 1980 से लेकर 31 मार्च, 1985 तक 2.31 लाख समस्याग्रस्त गांवों में से 1.92 लाख गांवों को स्वच्छ पेयजल सुविधायें मुहैया कराई गई थीं। सातवीं योजना के आरम्भ में अर्थात् 1-4-85 को 1,61,722 समस्याग्रस्त गांवों का चयन किया गया था जिनमें छठी योजना से बचे हुये समस्याग्रस्त गांव भी शामिल थे। राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों से अब तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार सातवीं योजना के अन्त तक 1,52,569 समस्याग्रस्त गांवों को कवर किया गया है।

स्वच्छता सुविधाओं के अन्तर्गत 25 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या को कवर करने के दशक लक्ष्य के मुकाबले सातवीं योजना के अन्त तक वास्तविक उपलब्धि ग्रामीण जनसंख्या की 2.59 प्रतिशत थी।

Amendment of Building Bye-laws

603. SHRI MURLIDHAR CHANDRA-KANT BHANDRE: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Building bye-laws in Delhi are proposed to be amended so as to enable regulation of offences which are non-compoundable in nature; and

(b) if so, in what circumstances and what precise modifications are being contemplated?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI MURASOLI MARAN): (a) and (b) The Municipal Corporation of Delhi has issued a Public Notice regarding proposed amendments to the Building Bye-laws 1983 in respect of regularisation of non-compoundable

items under Appendix 'Q' of the Bye-laws. No final decision on amending the Bye-laws has, however, been taken.

Assistance to Voluntary Organisations

604. SHRI S. S. AHLUWALIA: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have been providing various assistances to the voluntary organisations with a view to encourage them to take up 'Balbari' scheme;

(b) if so, the details of the incentives/assistances given to voluntary organisations for implementing the scheme; and

(c) the target categories of beneficiaries of the scheme and the basic services they are supposed to get at the Balbaries?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF WELFARE (SHRIMATI USHA SINGH): (a) to (c) The Government is providing assistance through the Central Social Welfare Board and four national level voluntary organisations to run Balwadi Nutrition Programme through their State branches. This scheme is under non-plan and there is no further expansion of this scheme. The financial assistance is provided to the implementing agencies on the following pattern:—

(i) Cost of food @ 50 paise per day per child including administrative cost for 270 days in a year.

(ii) Honorarium @ Rs. 200/- per month to Balsevika (Trained)

@ Rs. 150/- per month (Untrained)

(iii) Honorarium @ Rs. 75/- per month to helper

The programme aims to provide supplementary nutrition to the children in the age group of 3—5 years, consisting of about